प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त उप कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2022

विषय- कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के डायरेक्ट बेनीफेट ट्रांसफर (डी.बी.टी) हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100 (61)/12 टी.सी दिनांक 26.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त विकास योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथा अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए प्रक्रिया और विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1724/12-3-2020-100 (61)/12 टी.सी दिनांक 17.11.2020 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैंः-

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 26 मई 2017 के प्रस्तर 5.9 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो मदें तथा कार्यक्रम शासनादेश में शामिल नहीं हैं, उसमें भी किसानों, मजदूरों एवं अन्य को देय समस्त अनुदान तथा भुगतान सीधे बैंक खाते में पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत कार्य योजना में निर्धारित दरों, पात्रता एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप किया जायेगा। ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि प्रत्येक भुगतान, पोर्टल पर उपलब्ध 'चेक्स एण्ड बैलेन्सेज' के अनुरूप हो, प्रत्येक लाभार्थी का विवरण पारदर्शी तरीके से पोर्टल पर प्रदर्शित हो तथा योजना की पूर्ण वित्तीय एवं भौतिक प्रगति 'रियल टाइम' उपलब्ध हो। प्रत्येक योजनाधिकारी का दायित्व होगा कि इसको अच्छी तरह से सत्यापन करा लें। कृषि निदेशक एवं वित्त नियंत्रक भी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेंगे, जिससे विकास योजनाओं का प्रत्येक भुगतान पारदर्शी किसान पोर्टल से ही सुनिश्चित कराया जाये।
2. पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल से बिल तैयार कर डी.डी.ओ. पोर्टल पर, टेªजरी से भुगतान के लिए लाभार्थी का विवरण अपलोड करते समय उनके बैंक खातों को कदापि न बदला जाए। जिस आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बैंक खाता बदला जायेगा वह स्वयं उत्तरदायी होगा व उसके विरूद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
3. किसानों को अनुदान के रूप में भुगतान की जाने वाली धनराशि किसानों के बैंक खाते में ही डी.बी.टी. की जानी चाहिए, किसी फर्म के खाते में कदापि नहीं।
4. यदि कृषक हित में अनुदान की धनराशि को किसान के अतिरिक्त किसी अन्य खाते में कृषक/योजना हित में स्थानान्तरित करना अपरिहार्य है और औचित्यपूर्ण है अथवा डी0बी0टी0 की प्रक्रिया में कोई संशोधन कराया जाना है तो उसके लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निदेशालय की सूचना प्रौद्योगिकी की टीम के परीक्षणोपरांत ही शासन को भेजा जाएगा तथा शासन की अनुमति के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-28/2021/2156/12-3-2021, दिनांक 27.12.2021 द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु उपलब्ध User Name/Passoword और Digital Signature की सुरक्षा तथा दुरूपयोग को रोकने हेतु यह निर्देश दिये गये थे कि User Name/Passoword और Digital Signature किसी भी दशा में अपने अधीनस्थ कर्मियों को उपलब्ध न करायें तथा किसी भी दशा में सेवा दाता के माध्यम से आबद्ध कर्मियों को न उपलब्ध करायें।

2- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का संचालन केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये तथा लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातें में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि डी0बी0टी0 के उक्त दिशा-निर्देशों से कोई विचलन होता है तो इसे वित्तीय अनियिमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 3/2022/336(1)/12-3-22-तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा डी0बी0टी0 से भुगतान किये जाने की नियमित आडिट किया जायेगा तथा अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना कृषि निदेशक एवं शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है